संख्या-847/2026/2332/22-2-2025-17(573)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गुरेन्द्र पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गुरेन्द्र पुत्र श्री किशन सिंह, ग्राम-तिरवाया थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। 08 माह पूर्व कु0 नेहा को कलुआ भगा ले गया था। जिसकी पैरवी नेहा का भाई अशोक कर रहा था। इसी कारण दिनांक 31.03.2009 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर अशोक अग्रवाल की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-438, 442/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 7 कि०लॉ०ए० एक्ट एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-02 मथुरा के दण्डादेश दिनांक 11.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2023 तक 12 वर्ष 07 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.06.2023 तक बन्दी की 67 वर्ष की आयु मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 10.06.2023 तक अपरिहार 12 वर्ष, 07 माह 12 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 01 माह 15 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गुरेन्द्र (बन्दी संख्या-17533) पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-847/2026/2332(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।